भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1431
29.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

देशभर के टियर-2 शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशन

1431. **श्री दुरई वाइको:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु सहित देश भर के टियर-2 शहरों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) टियर-2 शहरों में वर्तमान में संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है और अगले पाँच वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को सहायता प्रदान करने के लिए सभी सरकारी और निजी ईंधन स्टेशनों (पेट्रोल/डीजल बंक) पर ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है या करने पर विचार कर रही है;

(घ) निजी कंपनियों और तेल विपणन कंपनियों को ईवी चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या वित्तीय या नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं; और

(ङ) गैर-महानगरीय और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देने हेतु समान ईवी अवसंरचना विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना एक गैर-लाइसेंस प्राप्त गतिविधि है और निजी उद्यमी भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य के टियर 2 शहरों सहित अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग

स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करने के लिए पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(ख) 01.04.2025 तक टियर 2 शहरों में प्रचालित ईवी चार्जिंग स्टेशनों की कुल संख्या 4,625 है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना मांग आधारित गतिविधि है और कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनकी स्थापना इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश सहित कई कारकों पर निर्भर करती है।

(ग) वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(घ) निजी क्षेत्र के उद्यमों और तेल विपणन कंपनियों को ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रदान किए जा रहे वित्तीय या नीतिगत प्रोत्साहनों का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

1. भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम-II स्कीम के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) नामत: आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा 8,932 ईवीपीसीएस की स्थापना के लिए 873.50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत भी 2000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
2. चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना एक गैर-लाइसेंस प्राप्त गतिविधि है और निजी कंपनियां विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के 17 सितंबर, 2024 के दिशानिर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकती हैं।

(ङ) 17 सितंबर, 2024 को जारी विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देश समतामूलक ईवी अवसंरचना विकास सुनिश्चित करने के लिए गैर-मेट्रो और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू हैं।

****